

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनोज (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 93/2020 GCMS 2020/00202

वादी

1. माया पत्नी चिरंजीलाल जाति रेगर निवासी चितावा, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. अनिता पुत्री राजूराम उम्र 12 वर्ष
2. बन्टी पुत्र राजूराम उम्र 15 वर्ष
3. सुनिता पुत्र राजूराम उम्र 10 वर्ष प्रतिवादी 1 से 3 नाबालिग जरिए संरक्षक कुदरती वली माता डाली देवी पत्नी राजूराम तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. डाली देवी पत्नी राजूराम
5. डाली देवी पत्नी राजूराम
6. अमरचन्द पुत्र नन्दाराम
7. ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम
8. कौशल्या देवी पत्नी बन्नाराम
9. खेमाराम पुत्र किशोरराम
10. गीता देवी पत्नी नन्दाराम
11. चांदमल पुत्र नन्दाराम
12. तुलछी पुत्री किशोरराम
13. दुर्गा देवी पुत्री केशाराम
14. दुर्गालाल पुत्र मूलाराम
15. देवली पुत्री किशोरराम
16. नोपाराम पुत्र मूलाराम
17. पूनम पुत्री किशोरराम
18. प्रेमराम पुत्र केशाराम
19. प्रहलादराम पुत्र मूलाराम
20. पांची देवी पत्नी कैलाश
21. पायल पुत्री कैलाश
22. पार्वती पुत्री केशाराम
23. बुधाराम पुत्र केशाराम
24. भंवरलाल पुत्र मूलाराम
25. भंवरी देवी पुत्री केशाराम
26. भागचन्द पुत्र बन्नाराम
27. भागीरथ पुत्र देबूराम
28. भोमाराम पुत्र किशोरराम
29. भोली देवी पत्नी किशोरराम
30. मन्जू देवी पुत्री नन्दाराम
31. मुन्नी देवी पत्नी बन्नाराम
32. राजकुमार पुत्र बन्नाराम
33. रामपाल पुत्र कालूराम
34. रामेश्वरी पुत्री बन्नाराम



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )



35. लक्ष्मण पुत्र देबूराम
36. सुखदेव पुत्र देबूराम
37. सन्तोष देवी पुत्री केशाराम
38. सुरज्ञान पुत्री कैलाश
39. सरजू देवी पुत्री केशाराम
40. सूरजराम पुत्र किशोरराम
41. सीताराम पुत्र नन्दाराम
42. प्रतिवादी सं. 1 ता 40 जाति सभी बावरी निवासियान ग्राम चितावा
43. तहसील कुचमान सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
44. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)  
दावा इस्तकरार हक, भू-विभाजन व रिकॉर्ड दुरुस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीया की ओर से।

निर्णय

दिनांक 04-07-2023

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावे। वकील वादी की बहस एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 17.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2023/533 दिनांक 02.03.2023 के द्वारा भिजवाई गई, दिनांक 09.02.2023 को तैयार मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 378 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नं. 379 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 380 रकबा 3.85 हैक्टर कुल रकबा 4.72 हैक्टर में से खसरा नम्बर 380 रकबा 3.85 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर भूमि पर माया पत्नि चिरंजीलाल जाति रेगर सा. चितावा बिन्दू संख्या A पर काबिज चली आ रही है, बिन्दू संख्या B C D खसरा नम्बर 380 रकबा 3.85 हैक्टर में से शेष रकबा 3.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.82 हैक्टर खसरा नम्बर 379 रकबा 0.05 हैक्टर पर शेष सभी खातेदार जमाबंदी अनुसार काबिज है। भूमि का नजरी नक्शा तैयार किया गया है तथा मौके पर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है, तथा नजरी नक्शा एवं दर्शाये गये हक हिस्से अनुसार खातेदार दर्ज किये जाने के कथन किये है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि खातेदारान/ पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 378 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 380 रकबा 3.85 हैक्टर कुल रकबा 4.72 हैक्टर में से खसरा नम्बर 380 में से



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )

0.08 हैक्टर भूमि का नजरी नक्शे में अंकित A स्थान पर वादीया माया पत्नि चिरंजीलाल जाति रेगर सा. चितावा को तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 09.02.2023 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष रकबा एवं शेष खसरान में से वादीया का नाम हटाया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/07/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

( मनोज R.A.S.)

उपस्थित अधिकारी  
कुचामनसिटी (तहसीलदार)



डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-नागौर (राज.)**

बइजलास : मनोज, ( R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :- 93/2020 GCMS 2020/00202

**वादी**

1. माया पत्नी चिरंजीलाल जाति रेगर निवासी चितावा, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.  
**बनाम**

**प्रतिवादीगण:-**

1. अनिता पुत्री राजूराम उम्र 12 वर्ष
2. बन्टी पुत्र राजूराम उम्र 15 वर्ष
3. सुनिता पुत्र राजूराम उम्र 10 वर्ष प्रतिवादी 1 से 3 नाबालिग जरिए संरक्षक कुदरती वली माता डाली देवी पत्नी राजूराम तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. डाली देवी पत्नी राजूराम
5. डाली देवी पत्नी राजूराम
6. अमरचन्द पुत्र नन्दाराम
7. ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम
8. कौशल्य देवी पत्नी बन्नाराम
9. खेमाराम पुत्र किशोरराम
10. गीता देवी पत्नी नन्दाराम
11. चांदमल पुत्र नन्दाराम
12. तुलछी पुत्री किशोरराम
13. दुर्गा देवी पुत्री केशाराम
14. दुर्गालाल पुत्र मूलाराम
15. देवली पुत्री किशोरराम
16. नोपाराम पुत्र मूलाराम
17. पूनम पुत्री किशोरराम
18. प्रेमराम पुत्र केशाराम
19. प्रहलादराम पुत्र मूलाराम
20. पांची देवी पत्नी कैलाश
21. पायल पुत्री कैलाश
22. पार्वती पुत्री केशाराम
23. बुधाराम पुत्र केशाराम
24. भंवरलाल पुत्र मूलाराम
25. भंवरी देवी पुत्री केशाराम
26. भागचन्द पुत्र बन्नाराम
27. भागीरथ पुत्र देबूराम
28. भोमाराम पुत्र किशोरराम
29. भोली देवी पत्नी किशोरराम
30. मन्जू देवी पुत्री नन्दाराम
31. मुन्नी देवी पत्नी बन्नाराम
32. राजकुमार पुत्र बन्नाराम
33. रामपाल पुत्र कालूराम



**उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )**

34. रामेश्वरी पुत्री बन्नाराम
35. लक्ष्मण पुत्र देबूराम
36. सुखदेव पुत्र देबूराम
37. सन्तोष देवी पुत्री केशाराम
38. सुरज्ञान पुत्री कैलाश
39. सरजू देवी पुत्री केशाराम
40. सूरजराम पुत्र किशोरराम
41. सीताराम पुत्र नन्दाराम
42. प्रतिवादी सं. 1 ता 40 जाति सभी बावरी निवासियान ग्राम चितावा
43. तहसील कुचमान सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
44. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)  
दावा इस्तकरार हक, भू-विभाजन व रिकॉर्ड दुरुस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी ..... मिनजानिब मुदई रू-बरू ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 378 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 380 रकबा 3.85 हैक्टर कुल रकबा 4.72 हैक्टर में से खसरा नम्बर 380 में से 0.08 हैक्टर भूमि का नजरी नक्शे में अंकित A स्थान पर वादीया माया पत्नि चिरंजीलाल जाति रेगर सा. चितावा को तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 09.02.2023 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष रकबा एवं शेष खसरान में से वादीया का नाम हटाया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज ..... मुबलिंग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक .....माह ..... सन्..... को जारी की गई।

(मुहर)



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

70  
2/3/23

A. Court  
2/3/2023

75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार  
संयुक्त नरम

भीम  
भारत इंटरनेशनल मिशन

**कार्यालय तहसीलदार (भू-अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)**

क्रमांक/भू-अ./2023/533

दिनांक - 02.03.2023

प्रेषित -

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
कुचामनसिटी

विषय - राजस्व वाद सं. 93/2002 माया बनाम अनिता वगैरह में पारित प्राथमिक  
डिक्री की पालना बाबत।

प्रसंग - श्रीमान के कार्यालय पत्रांक कोर्ट/2022/10 दिनांक 18.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2002 माया बनाम अनिता वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भूअ.नि. चितावा व पटवारी हल्का चितावा के द्वारा तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी  
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

# मौका रिपोर्ट

1

(विभाजन प्रस्ताव)


मैं कुलदीप (नाम) तहसीलदार कुचामन सिटी न्यायालय सहायक कलेक्टर/ उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक मिर्/2002/18 दिनांक 18-01-2022 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 09/02/2023 समय बजे आराजी खसरा नम्बर 378, 379, 380 ब्राक ग्राम चिनावा पटवार मण्डल चिनावा पर श्री श. अ. हरमाल सिंह व पत्नारी निरंजन नायब तहसीलदार/भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 93/2002 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा जारी किये गये थे। जिनकी तामिल विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे:-

क्र.स.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/प्रतिवादी	व्यवस्था
01.	अनिता	राधुराम	18	वावरी	प्रतिवादी	
02.	चांदमल	नन्दाराम	27	वावरी	प्रतिवादी	
03.	डाली देवी	पनि राधुराम	35	वावरी	प्रतिवादी	डाली
04.	जुलही	विशोरराम	24	—	—	
05.	पायल	केशव	22	—	—	पायल
06.	बुधाराम	केशाराम	50	—	—	
07.	वन्दी	राधुराम	21	—	—	बन्दी
08.	मागीराम	बेवुराम	32	—	—	

उपर्यक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये:-


02.3.23




② नजरी-नम्बानुसार विंड सं०

विंड सं० A ख.न. 380 रकबा 3.85 हे.मै. से  
0.08 हे.भुमि माया देवी पत्नि चिरंजी लक्ष  
प्राप्ति रंग सा. देह खातेदार नजरी नम्बो  
में से लाल स्याही दशित प्पाद कर्षिण है

विंड सं० B ख. न. 380 रकबा 3.85 मै. से 3.77 हे.भुमि  
क ख.न. 378 रकबा 0.82 ख.न. 379 रकबा 0.05  
इस प्रकार ख. न. 380, 378, 379 का कुल रकबा  
4.72 हे.मै. से 4.64 हे. भुमि पर-शोध सभी  
खातेदार जो वर्तमान प्पावनी में है वो सभी यथाकर  
रहेंगे पिनका मौवे पर कल्ला नजरी नम्बो में लाल  
स्याही से दशित-विंड B C रकबा 4.64 हे.भुमि  
पर मौक कर्षिण कायदा है।

  
श. क. वि. विभागा

  
प. वि. विभागा

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढकर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये:-

क्र.स.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी / प्रतिवादी
①	डाली देवी	चिरापुराम	बापरी	डाली	प्रतिवादी
②	बन्दी	-  -	बापरी	बन्दी	-  -
③	पायल	बेलारा	-  -	पायल	-  -
④	सुरजाम	बेलारा	-  -	सुरजाम	-  -
⑤	सुरवासीय	देवराज	-  -	सुरवासीय	-  -
⑥	लक्ष्मण	देवराज	-  -	लक्ष्मण	-  -

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया:-

क्र.स.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	हस्ताक्षर	वादी / प्रतिवादी
--------	-----	-------------	------	------	-----------	------------------

.....

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढकर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये:-

क्र.स.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	पता / मोबाईल न०
①	चिरंजीलाल	देशराज	बैंगर		9929 00 8093
②	भारतकुमार	चिरंजीलाल	-  -		-  -
③	सुरवेवाजाम	रामपाल	बैंगर		8500 59 5994

.....

इस प्रकार आज दिनांक.....को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर  
पटवारी/हत्का  
.....

हस्ताक्षर  
भू.अ. निरीक्षक  
वृत.....

हस्ताक्षर  
ना.तहसीलदार  
चितावा

हस्ताक्षर  
तहसीलदार  
कुचामन सिटी